पत्र संख्या–15/डी0 एल0 ए0–नालन्दा–(नानंद बाईपास) (1)–06/13

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
अधिसूचना

संख्या डी0 एल0 ए0 नालन्दा -1835/रा0 पटना, दिनांक 18-07-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव–नानंद परगना–तिलहाड़ा, थाना नं0–440 थाना–बिहार, जिला नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नानंद बाईपास पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव–नानंद, थाना नं0–440 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश **4.205** एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:– खेसरा सं0– 50, 52, 53, 54, 187, 188, 189, 191, 194, 549, 568, 569, 570, 571, 584, 585, 593, 595, 601, 604, 606, 607, 608, 1388, 1389, 1390, 1391, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1614, 1618, 1619, 1626, 1627, 1628, 1634, 1635, 1638, 1639, 1945, 1953 एवं 1955 सभी अंश तथा खेसरा सं0– 190, 602, 603, 614, 623 एवं 624 सभी पूर्ण।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर:– खेसरा सं0– 50 एवं 608 अंश तथा खेसरा सं0 625, 622, 620, 617, 616, 615, 613 सभी पूर्ण।
पूरब :– खेसरा सं0– 1233 अंश
दक्षिण :– खेसरा सं0– 1233 अंश
पश्चिम :– खेसरा सं0– 50, 51, 52, 53, 54, 187, 188, 189, 191, 194, 603, 606, 505, 584, 585, 571, 570, 569, 568, 549, 1371, 1390, 1398, 1388, 1389, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1614, 1618, 1619, 1626, 1627, 1628, 1634, 1635, 1638 एवं 1639 सभी अंश।

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961, संशोधित अधिनियम–1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो।भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे..के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप धारा– (2) में यथा उपबंधित या बिर्निर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/5/13

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा	अपर समाहर्त्ता, नालन्दा	समाहर्त्ता, नालन्दा	सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -1835/रा0 डी0 एल0ए0– नालन्दा, दिनांक 18-07-13/

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. **प्रतिलिपि** :– उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. **प्रतिलिपि** :– समाहर्त्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

602 17/7/13

सरकार के उप सचिव